



2025:RJ-JP:45395

[2025:RJ-JP:45395]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13503/2025

1. Lohara S/o Sirdar, R/o Village Basaineem Thana Kotwali Dholpur At Present Mahatma Nand Ki Bagechi Thana Kotwali, Dholpur. (At Present Accused Petitioner Confined in District Jail Dholpur).
2. Mayaram S/o Sirmor, R/o Basaineem Thana Kotwali Dholpur. (At Present Accused Petitioner Confined in District Jail Dholpur).

-----Petitioners

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. R.R. Baisla, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Ankur Singh Tomar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

12/11/2025

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर, जिला धौलपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 248/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 125, 333, 303(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वे दिनांक 03.10.2025 से अभिरक्षा में हैं, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने



आहतगण के कोई चोट कारित नहीं की है, आहतगण के शरीर पर आयी चोट प्राणघातक प्रकृति की नहीं हैं, सहअभियुक्तगण दाताराम व पातीराम का जमानत प्रार्थना पत्र समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त लोहरा के विरुद्ध पूर्व में 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 6 प्रकरणों में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त मायाराम के विरुद्ध पूर्व में 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनका सभी का निस्तारण हो चुका है, प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर किस्म का है, उन्होंने परिवादी के घर में घुसकर लाठियों व सरियों से मारपीट की, समकक्ष पीठ ने दाताराम व पातीराम के आदेश दिनांक 03.09.2025 में भी प्रार्थी/अभियुक्त लोहरा द्वारा गंभीर उपहति कारित करना बताया गया है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अत्यधिक संख्या में आपराधिक प्रकरण लंबित हैं, वे आदतन अपराधी हैं, प्रार्थी/अभियुक्त लोहरा के विरुद्ध आज भी अन्य प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र सूचीबद्ध है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में आहत कृष्ण के शरीर पर आयी चोटों में चोट संख्या 1 व 2 गंभीर प्रकृति की बतायी गयी हैं, लेकिन उक्त चोट प्राणघातक होना नहीं बताया गया है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी शेष नहीं है,



शेष आहतगण के कोई प्राणघातक चोट नहीं आयी है, वे दिनांक 03.10.2025 से अभिरक्षा में हैं, प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. लोहरा पुत्र सिरदार 2. मायाराम पुत्र सिरमोर** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J